

साख तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(डा० राम सुभग सिंह) : (क)

रूपये

(१) पहली योजना .	१,०४,५२,२५६
(२) दूसरी योजना .	७०,२५,०४३
(३) तीसरी योजना .	६३
(क) १९६१-६२ .	२५,२२,५५५
(ख) १९६२-६३ .	२५,३०,६३६
(अनुमानित)	

(ख) निम्न राज्य टिड्डियों से प्रभावित हैं :—

धम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के संघीय क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब ।

भारत में उसके पश्चिमी देशों से आने वाले विदेशी टिड्डी दलों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन भारत के नियत महसूल क्षेत्र और राज्यों में क्रमशः केन्द्रीय और राज्तीय टिड्डी विरोधी संगठनों ने टिड्डियों को बरबाद करने के लिए तुरन्त नियंत्रण उपाय किये हैं। उड़ते और बैठे हुए अनेक दलों को नष्ट कर दिया गया। सभी प्रभावित स्थानों में स्थिति भली प्रकार नियंत्रण में है। अंडों से बच्चे निकलते ही उनको नष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किये हुए हैं।

(ग) जी, हां ।

(घ) राजस्व और अन्य विकास विभागों के स्थानीय कर्मचारियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वनस्पति रक्षा सेवा ने कीटनाशी दवाइयों के फुहारने और बुरकने के द्वारा बैठे टिड्डी दलों को बरबाद करने के तुरन्त उपाय किये ।

1531 (Ai) LSD—6.

भारतीय रेलवे में नियुक्तियां

१२३५. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे आयुगों एवं अधिकारियों द्वारा भारतीय रेलों में काम करने के लिये कितने कर्मचारियों की नियुक्ति अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९६२ तक की गई;

(ख) इन नियुक्तियों में कितने मुसलमान, एंग्लो-इण्डियन, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति अलग-अलग संख्या में थे; और

(ग) उक्त अवधि में नियुक्त किये गये व्यक्तियों में भारत सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जातियों की उपजातियों में से प्रत्येक के कितने व्यक्ति थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) (१) मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

(२) एंग्लो-इण्डियनों के लिए जो आरक्षण निर्धारित था वह २६-१-१९६० से समाप्त हो गया। अप्रैल, १९५७ से २५ जनवरी १९६० तक की सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(३) अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(४) पिछड़े हुए वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

(ग) जाति के आधार पर आंकाड़े नहीं रखे जाते ।

**Bengal Flying Club**

1236. Shri Karjee: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the Bengal Flying Club is going to be abolished very soon due